न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 75/2024
अनवान : –

1. कृष्णा कुमार पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 11/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 147/195 की कुल 18.8810 हैक्ट भूमि में से 7361/37762 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्राथीया के समस्त दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलमज दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह के स्थान कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज किया जावे।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि मुताबिक दस्तावेजात प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करे देवे जिससे प्राथीर्या का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलमज दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह के स्थान कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 147/195 की कुल 18.8810 हैक्ट भूमि में से 7361/37762 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्तसिंह के स्थान पर कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर **रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 147/195 की कुल 18.8810 हैक्ट भूमि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह के स्थान पर कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिक का संशोधन किया जाता है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2025/ 161 दिनांक : 12/02/2025

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 75/2024 अनवानी कृष्णा कुमारी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 75/2024
अनवान : –

1. कृष्णा कुमार पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 147/195 की कुल 18.8810 हैक्ट भूमि में प्रार्थीया का नाम कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त सिंह के स्थान पर कृष्णा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह का संशोधन किया जाता है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:04 IST
Reason: SelfAttested